BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL

ORIGINAL APPLICATION NO 135/2014

IN THE MATTER OF:

APPLICANT: Subhash C. Pandey & 2 Ors.

//VERSUS//

RESPONDENTS: State of M.P. & 6 Others.

COMPLIANCE REPORT IN RESPECT OF ORDER DATED 08/11/2016

The Respondent No. 6 most respectfully submits as follows:-

1. The Hon'ble Tribunal vide its order dated 08/11/2016 has passed following directions which is quoted below:-

"Learned Counsel Shri Sachin K. Verma submits the notices have been issued after the demarcation and some of the affected parties have submitted their response to the notice. Further some more evidence by way of documents or otherwise have also been submitted or is in the process of being submitted by affected person by way of objection to the notices. The same shall be considered and the decision taken in accordance with law. He further submits that the Respondents are contemplating to appoint OSD for the aforesaid purpose who will deal with the notice and the objections received so that the matter may be expedited. We grant an outer time limit up to 30/04/2017 that is before the onset of the next summer monsoon for compliance of these directions. After the compliance and the action taken the same shall be brought to the notice of this Tribunal by way of an M.A. to be filed by the Respondents by 15th May

Received (1+2) 14/12/2020

NATIONAL GREEN TRIBUNAL * BHOPAL *

2017.

This matter is ordered to be consigned to record as it is already disposed of vide judgment dtd. 20/08/2014.

On filing of M.A. the matter be listed on 18th May 2017."

2. The Hon'ble Tribunal vide its order dated 08/11/2016 directed the Bhopal Municipal Corporation to appoint officer on special duty to decide the objections submitted by the noticees in response to the notice issued by Bhopal Municipal Corporation.

3. The Commissioner Bhopal Municipal Corporation in compliance to the directions passed by the Hon'ble Tribunal appointed Additional Commissioner Bhopal Municipal Corporation as Officer on Special Duty to deal with the matter in accordance to the directions passed by the Hon'ble Tribunal. The Additional Commissioner cum Officer on Special Duty provided opportunity of hearing to the noticees and forwarded its recommendation to the Director Town and Country Planning Bhopal (M.P.) who in turn constituted a committee headed by Joint Director Town and Country Planning with Sub Divisional Officer of Water Resources Department and Assistant Engineer of Bhopal Municipal Corporation. The committee has observed that the Bhopal Developmental Plan (Master Plan) has come into force w.e.f 09/06/1995 therefore they have categorized 172 cases in three categories the first category is the cases wherein the permissions are obtained before the enforcement of Bhopal Master Plan 2005, the second category are the cases wherein the developmental permission are obtained after the enforcement of Bhopal Developmental Plan 2005 and the third category are the cases where the date of permission/construction is not clear. The committee has given its findings pertaining to all the three categories which is quoted as under:-

उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पर तैयार की गयी सूची संलग्न है।

जहां तक भोपाल विकास योजना 2005 के अंगीकृत किये जाने के पश्चात के प्रकरणों का प्रश्न है इस संबंध में समिति के समक्ष एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आया है। नगर तथा ग्राम निपवेश द्वारा कलियासोत नदी की सीमा जो कि राजस्व अभिलेख में दर्ज थी, उसी आधार पर 33.0 मीटर तक का क्षेत्र खुला क्षेत्र रखते हुए विकास अनुज्ञा प्रदान की गयी है। एन0जी0टी0 में प्रकरण के प्रचलित रहने के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि राजसव अभिलेखों में दर्ज कलियासोत नदी की सीमा को मान्य किया जाना उचित नही है एवं वर्तमान में बह रही नदी की जो सीमा है, उससे 33.0 मीटर तक के क्षेत्र को खुला क्षेत्र माना जाना चाहिए। उक्त निर्णय से नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रदान की गयी अनेको विकास अनुज्ञाये मौके की स्थिति के आधार पर प्रभावित होती है। म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेष अधिनियम 1973 की धारा 30 के अंतर्गत प्रदत्त ऐसी विकास अनुमतियां आती तो प्रभावशील एवं वैधानिक रूप से भी अनुमति में छोडे गये नदी से 33.0 मीटर तक का खुला क्षेत्र अब पुनर्निधारित किया जाना व्यवहारिक एवं वैधानिक रूप से प्रतीत नही होता है अतः समिति का मत है कि विगत वर्षो में नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय द्वारा जो विकास अनुज्ञा जारी की गयी है उसके आधार पर स्थल पर जो निर्माण कार्य /विकास कार्य हुए है उनके विरूद्ध कार्यवाही किया जाना उचित नही है।

4. From the careful perusal of the report so submitted by the committee constituted by Director Town and Country Planning it is concluded that no action is required to be initiated against the construction activities and developmental work carried out on the basis of development permissions issued by Town and Country Planning office Bhopal (M.P.) The copy of the report dated 09/02/2018 is marked and filed herewith as **ANNEXURE-RR6/1.**

5. It is aptly submitted that all the permissions issued by Bhopal Municipal Corporation and Town and country Planning Office Bhopal are valid and no action is required to be initiated against the noticees therefore the compliance may kindly be taken on record.

PRAYER

It is therefore most humbly prayed that this Hon'ble Tribunal may graciously be pleased to take the compliance of direction dated 08/11/2016, in the imminent interest of justice.

SUBMITTED BY;

RESPONDENTS

THROUGH;

Place: Bhopal
Date: 09/12/2020

(SACHIN K. VERMA)
COUNSEL FOR RESPONDENT NO. 6

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL

ORIGINAL APPLICATION NO 135/2014

IN THE MATTER OF:

APPLICANT: Subhash C. Pandey & 2 Ors.

//VERSUS//

RESPONDENTS: State of M.P. & 6 Others.

AFFIDAVIT

I, Vijay Savalkar, posted as Chief City Planner Municipal Corporation Bhopal (M.P.) do hereby state on oath and solemnly affirm as under:-

1. That, I have been appointed as Officer In-charge to represent this case on behalf of Bhopal Municipal Corporation as such I am well conversant with the facts of the case and therefore, competent to swear this affidavit.

2 That the accompanying compliance has been drafted as per my instructions and also explained to me.

3. That the contents of para 1 to end of accompanying compliance are true to my knowledge based upon official records and the legal averments made therein are true on the legal advice received and believed to be true.

DEPONENT

VERIFICATION

I, above described deponent do hereby verify that the content of para 1 to 3 of the affidavit are true to my personal knowledge and belief.

Verified and signed on this 9th day of December 2020 at Bhopal (M.P)

DEPONENT

ANNEXURE-6/A

(10)

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन भोपाल द्वारा (मूल आवेदन प्रकरण क्रमांक 136/14) के पालन में कलियासोत नदी के किनारे 33.0 मीटर ग्रीन बेल्ट के अन्दर निर्मित भवनों के निर्धारण के संबंध में गठित समिति की कम्पलाईस रिपोर्ट :-

आयुक्त, नगरपालिक निगम भोपाल द्वारा गठित समिति की बैठक दिनॉक 01.08.2017, 05.09.2017, 25.09.2017, 17.10.2017, 31.10.2017, 30.11.2017, 19.12.2017, 12.01.2018 एवं 09.02.2018 को आयोजित की गई है।

समिति के समक्ष नगर निगम के अपर आयुक्त द्वारा 172 प्रकरणों पर की गई व्यक्तिगत सुनवाई का प्रतिवेदन रखा गया।

उक्त प्रतिवेदन के आधार पर समिति द्वारा प्रकरणों को वर्गीकृत किया गया। वर्गीकृत करने हेतु भोपाल विकास योजना के निवेश क्षेत्र के गठन की तिथि को आधार बनाया गया। भोपाल निवेश क्षेत्र का गठन सर्वप्रथम दिनॉक 19.06.1974 तत्पश्चात दिनॉक 22.03.1993 एवं अंतिम बार दिनॉक 24.02.2006 को किया गया। समिति के समक्ष रखे गये प्रकरणों हेतु उपरोक्त तथ्यों का परीक्षण किया गया, जो कि महत्वपूर्ण माना गया है। म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधान तभी लागू माने जा सकते है जब प्रश्नाधीन ग्राम को निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया हो। भोपाल विकास योजना 2005 जिसमें कलियासोत नदी से 33.0 मीटर तक का क्षेत्र खुला रखे जाने एवं इसमें वृक्षारोपण किये जाने संबंधी प्रावधान दिया गया है वे भोपाल विकास योजना 2005 के अंगीकृत करने के दिनॉक अर्थात दिनॉक 09.06.1995 से ही लागू हो सकते हैं।

अतः जिन प्रकरणों में निर्माण कार्य/विकास कार्य भोपाल विकास योजना 2005 के अंगीकृत होने के पूर्व कर लिया गया हो, उन पर भोपाल विकास योजना 2005 के प्रावधान लागू मान्य नहीं किये जा सकते हैं।

अपर आयुक्त, नगर निगम द्वारा की गई सुनवाई में जो तथ्य समक्ष में आये हैं उनके आधार पर 172 प्रकरणों का वर्गीकरण किये जाने पर निम्न तीन श्रेणियों में रखा गया है :-

1. भोपाल विकास योजना 2005 के अंगीकृत होने के पूर्व अनुज्ञा प्राप्त कर किये गये निर्माण संबंधी प्रकरण।
2. भोपाल विकास योजना 2005 के अंगीकृत होने के उपरांत अनुज्ञा प्राप्त अथव निर्माण हुये प्रकरण।
3. प्रकरण जिनमें अनुज्ञा/निर्माण की तिथि स्पष्ट नहीं है।

Attested

संयुक्त स
नगर तथा ग्रा
जिला भोपाल सं

उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पर तैयार की गई सूची संलग्न है।

जहाँ तक भोपाल विकास योजना 2005 के अंगीकृत किये जाने के पश्चात के प्रकरणों का प्रश्न है, इस संबंध में समिति के समक्ष एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आया है। नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा कलियासोत नदी की सीमा जो कि राजस्व अभिलेख में दर्ज थी, उसके आधार पर 33.0 मीटर तक का क्षेत्र खुला क्षेत्र रखते हुये विकास अनुज्ञा प्रदाय की गई है। एन0जी0टी0 में प्रकरण के प्रचलित रहने के दौरान यह निर्णय लिया गया था, कि राजस्व अभिलेखों में दर्ज कलियासोत नदी की सीमा को मान्य किया जाना उचित नहीं है एंव वर्तमान में बह रही नदी की जो सीमा है उससे 33.0 मीटर तक के क्षेत्र को खुला क्षेत्र माना जाना चाहिये। उक्त निर्णय से नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रदान की गई अनेकों विकास अनुज्ञायें मौके की स्थिति के आधार पर प्रभावित होती है। म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 के अन्तर्गत प्रदत्त ऐसी विकास अनुमतियाँ आती तो प्रभावशील एवं वैद्यानिक रूप से भी अनुमति में छोड़े गये नदी से 33.0 मीटर तक का खुला क्षेत्र अब पुनर्निधारित किया जाना व्यवहारिक एवं वैद्यानिक रूप से प्रतीत नहीं होता है। अतः समिति का मत है, कि विगत वर्षों में नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय द्वारा जो विकास अनुज्ञा जारी की गई हैं उसके आधार पर स्थल पर जो निर्माण कार्य/विकास कार्य हुये हैं उनके विरूद्ध कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जो प्रकरण द्वितीय श्रेणी में वर्गीकृत हुये हैं उन पर कार्यवाही करने के पूर्व उन्हें प्रदत्त नगर तथा ग्राम निवेश की विकास अनुज्ञा के आधार पर पुनः परीक्षण किया जाना उचित होगा।

तृतीय श्रेणी में जो प्रकरण वर्गीकृत हैं। उनमें नगर निगम भोपाल को विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही समिति द्वारा आगामी कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में प्रचलित याचिका कमांक 17122/16 एच.के.कलचुरी एण्ड एज्युकेशन ट्रस्ट विरूद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में दिनॉक 20.10.2016 पर स्टे दिया गया है।

अतः समिति द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तथ्यों से आयुक्त, नगर निगम भोपाल को अवगत कराया जाये।

Attest

संयुक्त
नगर तथा
जिला भोपाल

(12)

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन भोपाल द्वारा (मूल आवेदन प्रकरण क्रमाक 130/14) के पालन में कलियासोत नदी के किनारे 33.0 मीटर ग्रीन बेल्ट के अन्दर निर्मित भवनों के निर्धारण के संबंध में गठित समिति की कम्पलाईस रिपोर्ट :-

आयुक्त, नगरपालिक निगम भोपाल द्वारा गठित समिति की बैठक दिनॉक 01.08.2017, 05.09.2017, 25.09.2017, 17.10.2017, 31.10.2017, 30.11.2017, 19.12.2017, 12.01.2018 एवं 09.02.2018 को आयोजित की गई है।

समिति के समक्ष नगर निगम के अपर आयुक्त द्वारा 172 प्रकरणों पर की गइ व्यक्तिगत सुनवाई का प्रतिवेदन रखा गया।

... के आधार पर समिति द्वारा प्रकरणों को वर्गीकृत किया गया। वर्गीकृत करने हेतु भोपाल विकास योजना के निवेश क्षेत्र के गठन की तिथि को आधार बनाया गया। भोपाल निवेश क्षेत्र का गठन सर्वप्रथम दिनॉक 19.06.1974 तत्पश्चात दिनॉक 22.03.1993 एवं अंतिम बार दिनॉक 24.02.2006 को किया गया। समिति के समक्ष रखे गये प्रकरणों हेतु उपरोक्त तथ्यों का परीक्षण किया गया, जो कि महत्वपूर्ण माना गया है। म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधान तभी लागू माने जा सकते है जब प्रश्नाधीन ग्राम को निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया हो। भोपाल विकास योजना 2005 जिसमें कलियासोत नदी से 33.0 मीटर तक का क्षेत्र खुला रखे जाने एवं इसमें वृक्षारोपण किये जाने संबंधी प्रावधान दिया गया है वे भोपाल विकास योजना 2005 के अंगीकृत करने के दिनॉक अर्थात दिनॉक 09.06.1995 से ही लागू हो सकते हैं।

अतः जिन प्रकरणों में निर्माण कार्य/विकास कार्य भोपाल विकास योजना 2005 के अंगीकृत होने के पूर्व कर लिया गया हो, उन पर भोपाल विकास योजना 2005 के प्रावधान लागू मान्य नहीं किये जा सकते हैं।

अपर आयुक्त, नगर निगम द्वारा की गई सुनवाई में जो तथ्य समक्ष में आये हैं उनके आधार पर 172 प्रकरणों का वर्गीकरण किये जाने पर निम्न तीन श्रेणियों में रखा गया है :-

1. भोपाल विकास योजना 2005 के अंगीकृत होने के पूर्व अनुज्ञा प्राप्त कर किये गये निर्माण संबंधी प्रकरण।
2. भोपाल विकास योजना 2005 के अंगीकृत होने के उपरांत अनुज्ञा प्राप्त अथवा निर्माण हुये प्रकरण।
3. प्रकरण जिनमें अनुज्ञा/निर्माण की तिथि स्पष्ट नहीं है।

Attest

संयुक्त
नगर तथा
जिला भोपाल

(13)

उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पर तैयार की गई सूची संलग्न है।

जहाँ तक भोपाल विकास योजना 2005 के अंगीकृत किये जाने के पश्चात के प्रकरणों का प्रश्न है, इस संबंध में समिति के समक्ष एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आया है। नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा कलियासोत नदी की सीमा जो कि राजस्व अभिलेख में दर्ज थी, उसके आधार पर 33.0 मीटर तक का क्षेत्र खुला क्षेत्र रखते हुये विकास अनुज्ञा प्रदान की गई है। एन0जी0टी0 में प्रकरण के प्रचलित रहने के दौरान यह निर्णय लिया गया था, कि राजस्व अभिलेखों में दर्ज कलियासोत नदी की सीमा को मान्य किया जाना उचित नहीं है एंव वर्तमान में बह रही नदी की जो सीमा है उससे 33.0 मीटर तक के क्षेत्र को खुला क्षेत्र माना जाना चाहिये। उक्त निर्णय से नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रदान की गई अनेकों विकास अनुज्ञायें मौके की स्थिति के आधार पर प्रभावित होती है। म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 के अन्तर्गत प्रदत्त ऐसी विकास अनुमतियाँ आती तो प्रभावशील एवं वैद्यानिक रूप से भी अनुमति में छोड़े गये नदी से 33.0 मीटर तक का खुला क्षेत्र अब पुनर्निधारित किया जाना व्यवहारिक एवं वैद्यानिक रूप से उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः समिति का मत है, कि विगत वर्षो में नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय द्वारा जो विकास अनुज्ञा जारी की गई हैं उसके आधार पर स्थल पर जो निर्माण कार्य/विकास कार्य हुये हैं उनके विरूद्ध कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जो प्रकरण द्वित्तीय श्रेणी में वर्गीकृत हुये हैं उन पर कार्यवाही करने के पूर्व उन्हें प्रदत्त नगर तथा ग्राम निवेश की विकास अनुज्ञा के आधार पर पुनः परीक्षण किया जाना उचित होगा।

तृतीय श्रेणी में जो प्रकरण वर्गीकृत हैं। उनमें नगर निगम भोपाल को विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही समिति द्वारा आगामी कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि माननीय उच्च्य न्यायालय, जबलपुर में प्रचलित याचिका कमांक 17122/16 एच.के.कलचुरी एण्ड एज्युकेशन ट्रस्ट विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में दिनॉक 20.10.2016 पर स्टे दिया गया है।

अतः समिति द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तथ्यों से आयुक्त, नगर निगम भोपाल को अवगत कराया जाये।

Attes

संयुक्त
नगर तथ
जिला भोपा

(14)

आयुक्त नगर पालिक निगम भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 135/2014 के पालन में कलियासोत नदी के किनारे 33.0 मीटर ग्रीन बेल्ट के अन्दर निर्मित भवनों के निर्धारण के संबंध में कम्पलाईस रिपोर्ट तैयार करने हेतु समिति की बैठक दिनाँक 09.02.2018 –

क.	नाम व पद	विभाग	हस्ताक्षर
1	S. K. MUDGAL JOINT DIRECTOR T&CP Bhopal	T&CP Bhopal	[signature]
2	R. K. Jain SDO WRD; BPL	WRD BPL	[signature]
3	N. K. Dehariya AE Zone 18	Nagar Nigam Bhopal	[signature] 9/2/18
4			
5			
6			

Attested

[signature]

संयुक्त संचाल
नगर तथा ग्राम नि
जिला भोपाल सीहोर